## न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

**राजस्व विविध :: 181 / 2018**

RCMS Case No. 2018 / 00222

**प्रार्थी :—** **बनाम** **अप्रार्थीः—**

सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

1. मोहनलाल पुत्र दुर्गाराम
2. भुराराम पुत्र दुर्गाराम
3. कालुराम पुत्र घीसाराम
4. गोमाराम पुत्र घीसाराम
5. बुद्धाराम पुत्र घीसाराम
6. बाबुलाल पुत्र घीसाराम
7. मांगीलाल पुत्र उरजाराम
8. मगाराम पुत्र मूलाराम
9. प्रभूराम पुत्र मूलाराम
10. बाबुलाल पुत्र चन्दाराम
11. गोपीलाल पुत्र चन्दाराम
12. देवाराम पुत्र चन्दाराम
13. चौथाराम पुत्र मूलाराम
14. बुधाराम पुत्र दानाराम
15. जीवाराम पुत्र दानाराम
16. भूराराम पुत्र कनाराम
17. पुनाराम पुत्र कनाराम
18. तेजाराम पुत्र भीकाराम जातिगण सिरवी
    निवासीगण लिलाम्बा तहसील रायपुर

**प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण उपस्थित।

**—:: आदेश ::—**

**दिनांक** 07.06.2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम लिलाम्बा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 524 रकबा 2.11 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थीगण के पूर्वजों को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 408 के राजस्व रेकर्ड में आवंटी को बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 वाला थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम लिलाम्बा के नामान्तरकरण संख्या 408 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा अप्रार्थी के हक में सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर एवं विधि अनुरूप आवंटन किया गया है। उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी ने लाखों रूपये लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उस पर कृषि कार्य के उपयोग में ले रहा है। तहसीलदार रायपुर ने द्वारा आवेदन में तथ्यों को छुपाकर एक प्रिन्टेड प्रफोर्मा में रिक्त स्थानों को भर कर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जैर आराजी भूमि माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों के तहत आने वाली भूमि में से भिन्न है तथा इससे संबंधित नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं इनके अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेजात् के अभाव में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम लिलाम्बा तहसील रायपुर के हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 2.11 बीघा किस्म बा0दो0 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 524 गै0मु0 है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 408 के जरिये आवंटी का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 524 की किस्म गै0मु0 वाली थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ आंवटन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै.मु. वाली दर्ज की जानी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आंवटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रायपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किए आवंटन एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम लिलाम्बा तहसील रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 408 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)